कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल जबलपुर-482001
फोन : 91-761-2624195 (कार्या.), Email: dfotjbp@mp.gov.in

क्र./डी.एम./1375 जबलपुर दिनांक 26/12/18

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
मध्य वन वृत्त जबलपुर

विषय :- जबलपुर जिले के अन्तर्गत हिरन मध्यम टैंक परियोजना के निर्माण हेतु 54.87 हे0 वन भूमि कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :- 1. आपका पत्र कमांक /मा0चि0/10089 दिनांक 31.10.2018.
2. कलेक्टर जबलपुर पत्र कमांक/3655 /वन भूमि/हिरन/ 2018 दिनांक 01.12.2018.

--00--

निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र से हिरन मध्यम टैंक परियोजना में ऑन लाईन क्वारी प्राप्त हुई। जिसमें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र कमांक/एफ-3/79 /2016/10-11 /9/3380 दिनांक 31.10.2018 से उठाई गई आपत्तियों की पूर्ति करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना में ऑन लाईन क्वारी कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन सम्भाग जबलपुर को कार्यालयीन पत्र कमांक 3841 दिनांक 02.11.2018 से प्रेषित की गई। क्वारी की पूर्ति कर प्रस्ताव 4 प्रतियों में एवं ऑन लाईन आवेदक संस्थान से कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जो कि हार्डकॉपी एवं साफ्टकॉपी में आपकी ओर सम्प्रेषित है।

साथ ही विषयांकित परियोजना के विरूद्ध वृक्षारोपण हेतु प्राप्त भूमि ग्राम तौरी, खसरा कमांक 1, रकवा 79.54 हे0 भूमि पर अतिकमण के संबंध में कार्यालय कलेक्टर जबलपुर द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि परियोजना में "स्टेज-2 स्वीकृति के पूर्व उक्त भूमि को अतिकमण मुक्त करा लिया जावेगा।" पत्र की प्रति संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

26.12.2018

वन मंडल अधिकारी
सामान्य वन मंडल जबलपुर
26/12/18

कार्यालय कलेक्टर, जिला जबलपुर (म.प्र.)

पत्र क्र. 3655/वन भूमि /हिरन /2018 जबलपुर दिनांक 1/12/2018

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल
जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- हिरन मध्यम परियोजना निर्माण हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम तौरी में हस्तांतरित भूमि में अतिक्रमण हटाने बावत्।

---00---

हिरन मध्यम परियोजना के लिए पूर्व में ग्राम तौरी के खसरा क्र. 1 ग्राम तौरी रकबा 79.54 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है, जिससे आपके स्तर से अक्रिमण की सूचना प्राप्त हुई है इस संबंध में अवगत कराया जाता है, कि स्टेज-2 स्वीकृति के पूर्व उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया जावेगा।

सहपत्र:- शून्य।

(छवि भारद्वाज)
कलेक्टर,
जिला जबलपुर

पृ. क्र. 3655-A/वन भूमि /हिरन /2018 जबलपुर दिनांक 1/12/2018

प्रतिलिपि:-

1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए संप्रेषित।
2- कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुण्डम जिला जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही व दर्शित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित है।

सहपत्र- शून्य।

(छवि भारद्वाज)
कलेक्टर,
जिला जबलपुर